

प्रकाश आदेश संख्या 2/2/ 2022 दिनांक 27/09/2022

(६)

आदेश

केरीव नगिर की आदेश का अधिकार किया। केरीव नगिर ने बहुत अचौकी केरीव की गाहिर कुमार श्री सजेश कुमार वे लखन सिंह श्री दिनोद कुमार श्री गीताराम श्री सजेश यादव एवं श्री सोश कटियार के कार्य के प्रति उदासीनता आदेशों की अवधारणा का समर्थन आख्या दी है। आख्या के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दिग्दत कई महीनों बहुत अचौकी कर्मचारियों को दिशा-निर्देश दिये जा रहे हैं। वे उन आदेशों का पालन नहीं होते हैं एवं वायालय के इन्य कार्यालय में स्थानान्तरण किये जाने पर वह अवधारणा ले करके चले जाते हैं और अतकार आगे बढ़ते रहे हैं। केरीव नगिर द्वारा मेरे समक्ष पठाये जाने पर कोन की भाँति बजती रहती है। सम्बन्धित कर्मचारी कोन उठाते रहती हैं और पुनः कोन को नियम करके करते हैं। जिससे व्यायालय का कार्य सुधार रूप से साधानित नहीं हो पाता रहा है। वह घोर आवारोत्तमापक है। अधिकार केरीव कर्मचारियों को नीतिक रूप से समझाया दिया जा सकते के लिए कहा गया। उसके पालन से उनमें कोई सुधार नहीं आया है। जिससे उन लोगों के वे अपना कार्य सुधारेता एवं कठिनपरामरणीय नहीं करते हैं। कर्मचारीगण का कार्य कृपया कर्मचारी आवश्यक नियमावली 1986 के नियम 3 का उल्लंघन है।

ददुकुमार उपसेक्षण द्वारा एवं कर्मचारियों को दृष्टिगत स्फूर्ति हुए नियमावली के उल्लंघन राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली 2013 के नियम 23 (१) से दिये गये प्रावधानों के अतर्गत समुदायक से दृष्टिगत किया जाता है तथा उनकी एक-एक केतना हृद्दि ताकाल प्रभाव से एक वर्ष के लिए अस्थाई रूप से देखी जाती है।

१. श्री दिनोद कुमार
२. श्री लखन यादव
३. श्री सजेश यादव
४. श्री सजेश कुमार
५. श्री गीताराम
६. श्री गाहिर कुमार
७. श्री सोश कटियार

देहन वृद्धि देकर जाने की नियमित उपरोक्त कर्मचारियों की संघ पुस्तका में जाये। एवं उनकी सम्बन्धित सूचित हो।

दिनांक 27/09/2022

अग्रिम कुमार जी. डी.
प्रबन्ध न्यायालय
उदैश